

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
संख्या—१६७ / XXXVIII—१९—१३(०५) / २०००
देहरादून: दिनांक: ।। दिसम्बर, २०१९

अधिसूचना

तात्कालिक प्रभाव से उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नाम परिवर्तित कर "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा—४(२)(a)(b) (c)(d)(e) एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा—५(२)(a) (b)(c)(d)(e) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों/पदधारकों को अग्रिम आदेशों तक नाम निर्दिष्ट एवं नियुक्त करते हैं:—

➤ प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष (अंशकालिक)

शासकीय सदस्य (कुल—०५)

- (१) निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- (२) प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो कि अपर सचिव स्तर से कम न हों।
- (३) प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो कि अपर सचिव के स्तर से कम न हों।
- (४) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो कि अपर सचिव स्तर से कम न हों।
- (५) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो कि अपर सचिव के स्तर से कम न हों।

स्थानीय निकाय के सदस्य (कुल—०५)

- (१) उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- (२) उपाध्यक्ष, झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
- (३) मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
- (४) मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, कोटद्वार।
- (५) मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, काशीपुर।

अशासकीय सदस्य (कुल—०३)

- (१) अध्यक्ष, कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रिज।
- (२) आई.आई.टी. रुड़की के नामित प्रतिनिधि (वायु प्रदूषण से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञता वाले)।
- (३) दून विश्वविद्यालय, देहरादून के नामित प्रतिनिधि (वायु प्रदूषण से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञता वाले)।

निगमों के प्रतिनिधि—(कुल—02)

- (1) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राजकीय औद्योगिक विकास निगम लि० (सिडकुल)।
- (2) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

➤ सदस्य सचिव—शासन द्वारा नामित (पूर्णकालिक)




(आनन्द वर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या— ९६७ (१) / x-३-१९-१३(०५) / २०००, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ०, कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
8. निदेशक, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
9. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
13. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
14. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की, उत्तराखण्ड को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
15. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
16. शासकीय पोर्टल/गार्ड फाईल।



(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।